




Form No.III
फर्द अहकाम
 (नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गोविन्दगढ़ जिला-अलवर

गंगापुरी बनाम सायरा राजा
 प्रकरण सं. 11/10/2025 तारीख रज. 05.02.25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
5.2.25	वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की ओर दावा मय प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जर्ज रजिस्टर्ड डाक सम्मन तलब हो। पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक को पेश हो। 19.2.25	 उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़(अलवर)
19.2.25	47(40) उखुर हुं। वकील वादी उप। 47(40) वास्ते नमूने कानून के लिए 17.3.25 को पेश हो।	 उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०
17.3.25	47(40) उखुर हुं। वकील वादी उप। वकील वा उखुरे वादी को न्यायालय वा। बाल-2 कानून न्याय के लिए। कोरे अतिर 70 कानून। कानून: उपखण्ड अधिकारी 47(40) वकील वा उखुरे वादी को कानून पेश। कानून दावे को रजिस्ट्रेशन किया जाना है। 47(40) को कानून उखुरे वादी को कानून के कानून। 47(40) कानून वा। 47(40) कानून दावे को।	 उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०